

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

उद्देश्य	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि एवं परीक्षा	प्रोत्साहन
1	2	3	4	5
ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों निगमों,निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।	प्रबोध	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़ ,तमिल ,मलयालम , तेलुगु ,अंग्रेजी ,मणिपुरी ,मिजो , भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें प्राइमरी स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है ,प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने की होगी एकांतर दिवस 2घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा कक्षाएं 1जुलाई 2021 से शुरु होंगी। परीक्षाएं नवंबर 2021 में आयोजित की जाएंगी।	जो अधिकारी/ कर्मचारी इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय जापन सं0 21034/66/2103) प्रशिक्षण(दिनांक 29.07.2011)के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
	प्रवीण	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी नामित होंगे। मराठी सिंधी ,मैथिली ,संथाल, बोडो, डोगरी ,नेपाली ,गुजराती ,बंगला , असमिया और उड़िया भाषा- भाषी अधिकारी/कर्मचारी ,जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है , इसमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं।	---- वही---	
	प्राज्ञ	इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदीतर भाषा-भाषी कार्मिकों जिनकी मानृभाषा पंजाब उर्दू ,कश्मीरी तथा पश्तो है और जिन्हें मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है ,प्रशिक्षण हेतु पात्र है।	पाठ्यक्रम की अवधि 5महीने एकांतर दिवस 1.30घंटे या प्रतिदिन 1घंटा। कक्षाएं 1जुलाई 2021से शुरु होंगी। परीक्षाएं नवंबर 2021 में आयोजित की जाएंगी।	
	पारंगत	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों ,केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/निकायों/उद्यमों/ अभिकरणों /निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 5महीने एकांतर दिवस 2घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा कक्षाएं 1 जुलाईसे शुरु होंगी। परीक्षाएं नवंबर 2021 में आयोजित की जाएंगी।	जो प्रशिक्षणार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय जापन सं0 21034/69/2008)/ रा.भा(प्रशि.) दि 21.12.2020 के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित कार्यालय /विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। (कृपया अनु. III देखें)

नोट:-

- जिन अधिकारियों /कर्मचारियों को कार्यालय में सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफकार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर,रिकार्ड सॉर्टर, इलैक्ट्रिशियन,फिटर, गेस्टेनर ऑपरेटर,डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती,परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे, वैज्ञानिक,डॉक्टर,नर्स तथा प्रयोगशालाओं/वर्कशाप के पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों /कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है ,उनके लिए प्राज्ञ तक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है वे पारंगत पाठ्यक्रम के लिए पात्र है।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/30/2009-रा.भा.-(प्र.) दिनांक 06 जनवरी, 2010 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग "घ" के कर्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग "ग" के कर्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। अतः वर्ग "घ"से वर्ग "ग" में आए उन कर्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ की कक्षाओं के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सके। तथा निर्धारित परीक्षाएँ पास करने पर सभी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन जैसे नकद पुरस्कार वैयक्तिक वेतन आदि का लाभ मिल सके।

1. प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण

- हिंदी प्रबोध,प्रवीण,प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रशिक्षार्थियों का विवरण हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा विकसित प्रशिक्षण प्रणाली में भरा जाएगा। इसलिए सभी प्रशिक्षार्थियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भिजवाएँ जिससे उनका विवरण सही सही भरा जा सके।
- प्रशिक्षार्थियों का विवरण प्रशिक्षण प्रणाली में अपलोड करने के पश्चात तत्काल उपनिदेशक(मध्योत्तर)को ई-मेल द्वारा सूचित करें। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद किसी भी प्रशिक्षार्थी का विवरण प्रणाली में अपलोड नहीं किया जा सकेगा।

2. परीक्षा एवं परीक्षा संबंधी नियम

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नवंबर 2021 में आयोजित की जाएंगी।
- नियमित व प्राइवेट परीक्षा के लिए प्रशिक्षार्थी का विवरण निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक- II) में दिनांक 30.06.2021 तक उप निदेशक(मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए।

3. परीक्षा शुल्क

- विभिन्न पाठ्यक्रमों के केंद्रीय सरकार के कर्मिकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
- भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के सभी कर्मिकों के लिए रु.100 -/प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है।
- पारंगत परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है।

4. परीक्षा शुल्क का भुगतान

- केंद्र सरकार के उपक्रमों निगमों बैंकों सांविधिक निकायों के सभी नियमित व प्राइवेट प्रशिक्षार्थियों के लिए रू100/- प्रति प्रशिक्षार्थी के लिए परीक्षा शुल्क देय होगा।
- परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट का विवरण भी प्रणाली में भरा जाना अनिवार्य है।
- परीक्षा शुल्क 'भारतीय स्टेट बैंक' की website - www.onlinesbi.com पर ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। ऑन लाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक (परीक्षा) को भेजना अनिवार्य है।

5. पाठ्यपुस्तकें

- सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

6. वित्तीय प्रोत्साहन

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने और हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वार्षिक वेतन प्रदान किया जाता है।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है, जो उनके कार्यालय/विभाग द्वारा दिया जाएगा।
- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।
- प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षओं के नकद पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी हेतु राजभाषा विभाग का का. जा सं 21034/ 66/ 2010 रा. भा (प्रशि) दि: 29 जुलाई 2011 देखें तथा पारंगत परीक्षा के नकद पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी हेतु राजभाषा विभाग का का. जा सं 21034/ 69/ 2008 रा.भा (प्रशि) दि: 21 दिसंबर 2020 (अनुलग्नक III) देखें!

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अंकों का प्रतिशत		
		55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	70 प्रतिशत
1.	प्रबोध	रू.400	रू.800	रू.1600
2.	प्रवीण	रू.600	रू.1200	रू.1800
3.	प्राज्ञ	रू.800	रू.1600	रू.2400
4	पारंगत	रू. 4000	रू. 7000	रू. 10000

7. कक्षाओं में उपस्थिति

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12014/1/74-हिंदी/1/ तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12044/1/74-रा.भा.(घ) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों / कर्मचारियों का नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना तथा सत्र के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है।
- कक्षा में उपस्थिति, लेखन तथा वाचन के आधार पर हर माह आंतरिक मूल्यांकन के अंक केंद्र के प्राध्यापक/प्रभारी द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं।

8. नया केंद्र खोलना

- यदि कोई कार्यालय अपने कार्यालय में हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का इच्छुक है तो वह हर कक्षा के लिए कम से कम 15 से 20 प्रशिक्षार्थियों को नामित करना सुनिश्चित करे। इसके लिए उचित प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 15.06.2021 तक भेजने का कष्ट करें ताकि समय रहते नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

9. विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे भाषा प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यालय के शेष कर्मियों को नामित करने का कष्ट करें। जिससे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सन् 2025 तक प्राप्त किया जा सके। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सक्रिय सहयोग सराहनीय होगा।
- यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नामित प्रशिक्षार्थी, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा परीक्षाओं के फार्म भरने के साथ-साथ परीक्षा में अवश्य बैठें।
- सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से अनुरोध है कि वे कक्षाओं के गठन का यह पत्र अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से परिचालित करवाना सुनिश्चित करें।

कार्यालय का पता/संपर्क सूत्र

उप निदेशक का कार्यालय (मध्योत्तर),
हिंदी शिक्षण योजना,
पूर्वी खंड- 7, लेवल-6,
आर. के. पुरम,
नई दिल्ली -110066,
दूरभाष: 26175246/ 26191572

श्रीमती कमलेश बजाज
उप निदेशक (मध्योत्तर)
मो- 9868833938
ई.मेल-ddhts-nc-dol@nic.in

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह
उप निदेशक
मो. 9560213089
फोन : 011-26176055
ई.मेल-chti1148@nic.in

हिंदी प्राध्यापक	मोबाइल नंबर	ई.मेल का पता
1 डॉ. पी. वी. राधिका (नई दिल्ली)	9444622262	chti1185@nic.in
2. श्रीमती नीपा शर्मा (नई दिल्ली)	9899989821	chti1227@nic.in
3. श्री आशाराम (नई दिल्ली)	9213107791	chti1256@nic.in
4. श्री राजकुमार बाल्मिकी (नई दिल्ली)	9971953257	chti1260@nic.in
5. श्रीमती सीमा रानी (नई दिल्ली)	9990197892	chti1267@nic.in
6. श्रीमती शोभा कुजूर(नई दिल्ली)	9840349234	chti1270@nic.in
7. श्रीमती सुनीता यादव(नई दिल्ली)	9654009808	chti1284-dol@gov.in
8 श्री राजेश कुमार मीना(जयपुर)	09460474143	chti1277@nic.in
9. श्री महेश चंद्र मीना (देवली, राज.)	09508155071	maheshgudli007@gmail.com
9. श्री कमलजीत (जम्मू)	6005284842	chti1253@nic.in
10 श्रीमती उर्मिला सैनी (चंडीगढ़)	8279230752	chti1278@gov.in

सभी विभागाध्यक्ष/संपर्क अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय का पूरा पता पिन कोड सहित भेजें। साथ ही अपने कार्यालय का दूरभाष/ फैंक्स नंबर एवं ई-मेल का पता भी भेजें जिससे पत्राचार करने में सुविधा होगी।

नए पाठ्यक्रम "पारंगत" को लागू किए जाने के संबंध में जारी किए गए आदेशों के लिए कृपया राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.raibhasha.gov.in को देखने का कष्ट करें।

भवदीया,

(Handwritten signature)
16/6/2021

(कमलेश बजाज)

उप निदेशक (मध्योत्तर)

पृष्ठांकन सं. 3/8/2019-उ नि (मध्योत्तर)/

दिनांक :

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, 7 वाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक(कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. उप निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) 2- ए. पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
5. उप निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
6. सर्वकार्यभारी अधिकारी, जम्मू, चण्डीगढ़ तथा जयपुर व देवली राजस्थान।
7. सहायक निदेशक (टंकण/आशु0), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
8. प्रभारी सहायक निदेशक अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-11
9. प्रभारी सहायक निदेशक भाषा पत्राचार स्कंध केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-11

(कमलेश बजाज)

उप निदेशक (मध्योत्तर)

अनुलग्नक-1

नामन प्रपत्र

क्र.सं.	नामित अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित है	सुविधाजनक प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय का पता व फोन नंबर	कर्मचारियों की कुल संख्या

हस्ताक्षर.....

नामित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम.....

कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नं व ई मेल सहित.....

(कार्यालय का मोहर)

उपनिदेशक का कार्यालय (मध्योत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली

प्रशिक्षार्थी विवरण का प्रपत्र

प्रशिक्षण केंद्र का नाम:

प्रशिक्षण सत्र :

कक्षा का नाम /दीर्घकालिकभाषा प्रशिक्षण :

प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में):	Name of the Candidate: (IN BOLD LETTERS)
लिंग (स्त्री /पुरुष/ अन्य)	Gender (M /F/ other)
पिता /पति का नाम:	Father's/ Husband name:
प्रशिक्षार्थी का पदनाम :	Designation:
मातृभाषा:	Mother tongue:
हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर:	Knowledge of Hindi :
मंत्रालय का नाम:	Name of Ministry:
विभाग का नाम :	Name of Department:
नामित करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम:	Name & Designation of the Nominating officer:
कार्यालय का पूरा पता : ईमेल/दूरभाष:	Full office address With Email/ phone:
परीक्षा शुल्क भरने का बैंक विवरण: Bank details of Examination Fees:	
प्रशिक्षार्थीका दूरभाष/मो. Candidate's Phone/mob.	
प्रशिक्षार्थीका ई मेल : Email id of the Candidate :	
आधार सं: Adhaar No.	

दिनांक :

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

नोट: कृपया प्रपत्र को द्विभाषिक रूप में भरें।

स.21034/69/2008-स.आ.(प्रशि.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक. 21 दिसम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय - वित्तीय वर्ष 2021-2022 से केंद्र सरकार के कर्मियों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम "पारंगत" के आशुन प्रस्तावित मानदंड (पुरस्कार) लागू करने के संबंध में।

केंद्र सरकार के कर्मियों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा "पारंगत" पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण आरंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से "पारंगत" पाठ्यक्रम को व्यापक व लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार के कर्मियों को पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित पंचसुख प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है -

(क) 55% से 59% अंक प्राप्त करने पर	4000/-रु.
(ख) 60% से 69% अंक प्राप्त करने पर	7000/-रु.
(ग) 70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर	10,000/-रु.

2. उपरोक्त प्रोत्साहन संबंधी वित्तीय राशि को संबंधित मंत्रालय/विभागों को ही वहन करना पड़ेगा।

3. गृह कार्यालय प्राप्त वित्त मंत्रालय व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 17.12.2020 की अतिविभागीय टिप्पणी संख्या 14(2)ई.समन्वय 2015 (1526920) के अनुसार आधी किया जा रहा है।

2020/21/11/2
(आनंद कुमार)
निदेशक (प्रशि.)

रिवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (सहायक सूची के अनुसार)
2. निर्वाचना आयोग, नई दिल्ली।
3. सशक्त लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय मताधिकार आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

.....जारी